30630

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

REKHA AGARWAL
SHCIL ACC CODE UP14383904
SADAR, LUCKNOW

5890/22

Certificate No.	:	IN-UP97594573423588U
Certificate Issued Date	:	16-Sep-2022 03:15 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14383904/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14383904877425719261 70U
Purchased by	:	DEVENDRA KUMAR
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	FOR TRUST
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI KRISHNA JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA
Second Party	:	DEVENDRA KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	DEVENDRA KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

STAMP PAPER USED
SUB REGISTRAR SADAR (FOURTH)
LUCKNOW U.P.

Please write or type below this line

33

देवेन्द्र कुमार

JD 0013841617

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

				की तारीख	नाम व पता	नवीनतम फोटोग्राफ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम दीक्षित, निवासी–9ए, बालाजी पुरम, आनन्द लोक कालोनी, मटियारी, चिनहट, लखनऊ–226028	देवेन्द्र कुमार
					सागर पाठक पुत्र विजय पाठक नि0–283/701/605, आरती नगर, गढ़ी कनौरा, मानक नगर, लखनऊ	Sagar Pathak
					अभिषेक कुमार पुत्र सुशी लाल नि0–24, अम्बेडकर नगर, भरतपुरी बी, तालकटोरा रोड, राजेन्द्र नगर, लखनऊ	Abhishek

भारत सरकार
Government of India

सागर पाठक
Sagar Pathak
जन्म तिथि/DOB: 31/08/2000
पुरुष/ MALE

4422 3763 2814

VID : 9113 4405 4131 3150

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: विजय पाठक, 283 / 701 / 605, आरती नगर, गढ़ी कनौरा, मानकनगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226011

Address:
S/O: Vijay Pathak, 283 / 701 / 605, Arti Nagar, Garhi Kanaura, Manaknagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226011

4422 3763 2814

VID : 9113 4405 4131 3150

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

[redacted]

Download Date: 21/08/2020

अभिषेक कुमार
Abhishek Kumar
जन्म तिथि/DOB: 08/01/2000
पुरुष/ MALE

Issue Date: 28/07/2020

9929 2606 5247

VID : 9168 6053 6164 9968

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted]

पता:
S/O सुखी लाल, २५ अम्बेडकर नगर भरतपुरी बी तालकटोरा रोड, राजेन्द्र नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226004

Address:
S/O Sukhi Lal, 25 ambedkar nagar bharatpuri B talkatora road, rajendra nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226004

9929 2606 5247

VID : 9168 6053 6164 9968

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

देवेंद्र कुमार
Devendra Kumar
जन्म तिथि/DOB: 15/01/1988
पुरुष/ MALE

7723 4644 9916
VID : 9141 9219 3114 2804
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: राधे श्याम, 9ए, बालाजी पुरम, आनंद लोक कॉलोनी, शाहपुर सिमरा, लखनऊ, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 227105

Address:
S/O: Radhey Shyam, 9A, balaji puram, Anand Lok Colony, shahpur Semra, Lucknow, Lucknow,
Uttar Pradesh - 227105

7723 4644 9916
VID : 9141 9219 3114 2801
1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Devendra Kumar

श्रीकृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

(Shri Krishna Janmabhoomi Teerth Kshetra)

स्टाम्प शुल्क : रू0 750/– जरिये
ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0–IN-
UP97594573423588U dated
16-09-2022

न्यास पत्र

यह न्यासपत्र दिनांक 16.09.2022 को **देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम दीक्षित, निवासी–9ए, बालाजी पुरम, आनन्द लोक कालोनी, मटियारी, चिनहट, लखनऊ–226028, उत्तर प्रदेश (भारत)** संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक /अध्यक्ष/ न्यासकर्ता/ व्यवस्थापक ट्रस्टी के नाम से जाने जायेंगे।

हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थाई सुख शान्ति संगठन सद्भाव, विश्वास गुणों की स्थापना हेतु एक न्यास की स्थपना की जाए तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए तथा इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा 10,000/– रूपये (रूपया छस हजार मात्र) केवल संस्थापक ट्रस्टी प्रदान करते हैं जो कि निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

1.	ट्रस्ट का नाम	:	**श्रीकृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (Shri Krishna Janmabhoomi Teerth Kshetra)**
2.	(1) न्यास का पंजीकृत कार्यालय	:	**55छ/202, नया सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ–226005, उत्तर प्रदेश (भारत)**
	(2) न्यास का प्रशासनिक कार्यालय	:	उपरोक्त
	(3) न्यास शाखा कार्यालय	:	उपरोक्त
3.	न्यास का कार्यक्षेत्र	:	न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। इसके न्यास /ट्रस्ट शाखा कार्यालय सम्पूर्ण भारत के अलग–अलग राज्यों तथा शहरों/गाँवों में स्थापित होंगे।
4.	न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या	:	न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम चार और अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य होंगे।

क्र0 सं0	सदस्यों का नाम	पिता का नाम व वर्तमान पता	पदनाम	व्यवसाय
1.	देवेन्द्र कुमार	स्व0 राधेश्याम दीक्षित, निवासी–9ए, बालाजी पुरम, आनन्द लोक कालोनी, मटियारी, चिनहट, लखनऊ	अध्यक्ष/ संस्थापक/ ट्रस्टी	समाज सेवक
2.	धर्मवीर सिंह	पुत्र श्री राकेश चन्द्र, निवासी–लड़ियापुर, भरथना, लुधियान, इटावा, उ0प्र0	उपाध्यक्ष	समाज सेवक
3.	आकाश सिंह	पुत्र श्री धमेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी–551छ/202, नया सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ	महासचिव	समाज सेवक
4.	दीपक त्रिपाठी	पुत्र श्री राम मोहन त्रिपाठी, निवासी–569/58, कानपुर रोड, फिनिक्स मॉल के पास, एल.डी.ए. कालोनी, लखनऊ	कोषाध्यक्ष	समाज सेवक

5. <u>आजीवन न्यासी :–</u>

न्याय के हित में न्यास का संस्थापक/अध्यक्ष समाज के चुनिन्दा व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो न्यास के आजीवन सदस्य कहलायेंगे। यह न्यास के आजीवन सदस्य जीवन पर्यान्त बने रहेगें। यह न्यासी विधिक रूप से या अन्य कारण से अक्षम होने पर न्यास से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। न्यास के आजीवन सदस्यों को न्यास की वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने, भाग लेने व मतदान देने का अधिकार रहेगा तथा न्यास के संचालन में उनका सहयोग रहेगा अतएवं इस न्यास विलेख के निष्पादन के समय निम्नलिखित व्यक्ति न्यास के आजीवन सदस्य रहेगें:–

(1) देवेन्द्र कुमार (2) धर्मवीर सिंह (3) आकाश सिंह (4) दीपक त्रिपाठी

<u>प्रबुद्ध न्यासी:–</u>

मूल संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के हित में प्रबुद्ध व्यक्तियों को न्यास में रख सकता है। प्रबुद्ध न्यासी वही व्यक्ति हो सकते है जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं अथवा न्यास के हित में, समुदाय के हित में तथा राष्ट्र के हित में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। न्यास इनके सुझावों को यदि उचित समझता है तो उन्हें स्वीकार कर सकता है। अतएवं प्रस्तुत ट्रस्ट विलेख निष्पादन के समय निम्न प्रबुद्ध व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्धारित किया जा रहा है।

(1) देवेन्द्र कुमार (2) धर्मवीर सिंह (3) आकाश सिंह (4) दीपक त्रिपाठी

देवेन्द्र कुमार

उपर्युक्त समस्त न्यासी न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

6. **न्यास के मुख्य उद्देश्य :–**

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य, पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास एंव बौद्धिक विकास तथा समृद्धि के लिए होगा। और न्यास की आय से देश–विदेश मे किसी प्रकार की अन्य शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशिक्षण करने में बिना किसी पक्ष–पात के सर्वलोक कल्याणार्थ एवं उसके प्रयासों को सुनिश्चित की जायेगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो। संस्था के मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार, स्वास्थ, धर्म एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार देश–विदेश में करना एवं इसके लिए हर संभव प्रयास करना। मानव समाज को समृद्ध संगठित, स्वस्थ बनाने तथा अंखड भारत और ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्र में परियोजनाओ के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निजी संस्थाओं एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो से सहयोग प्राप्त करना एवं कार्य करना। मिशन अखण्ड भारत 2022 के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु कार्यो परियोजनाओं को संचालित करना। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करना भी सम्मिलित है।

1. धर्म के प्रचार–प्रसार हेतु धार्मिक प्रवचन, सत्संग आदि करना।
2. श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो भूमि उपलब्ध होगी, उसमें वैदि गुरूकुल और आध्य के मंदिर का निर्माण करना।
3. ऑनलाईन शिक्षा को संचालित करना।
4. भारतीय शिक्षा बोर्ड से संचालित सभी पाठ्यक्रम को संचालियत करना।
5. योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पीठ की सम्पूर्ण विश्व में स्थापना करना।
6. वैदीक गुरूकुल विद्यालय की स्थापना करना।
7. सनातन धर्म के विषय में जानकारी प्रदान व जागरूकता पैदा करना।
8. देशी नश्ल गायों के उथान करना व सरक्षंक करना।
9. पुराने मन्दिरों का जिर्णोधार करना उसकी देखरेख करना।
10. वैदिक विर्धीयों को तैयार करना व नियुंक्त करना।
11. वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरू करना।

देवेन्द्र कुमार

12. नदीयां व तालाबों की स्वच्छता अभियान चलाना।

13. वृद्धों व विधवाओ की देखभाल करना।

14. गरीब व बेसहारा बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना।

15. स्वस्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण स्वास्थ्य संवर्धन, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करना एवं समाज को लाभन्वित न्यास/संस्थाओं /संगठनों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

16. राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रो को खोलने तथा उसकी व्यवस्था को सुनुश्चित करना एवं बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को प्रशिक्षण प्रदान कराना ताकि राज्य/जिला/ प्रखंड/पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र के संगठन और प्रबधंन के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र मे मानव शक्ति का सर्वागीण एवं बौद्धिक तथा समृद्धि का विकास हो सके।

17. राज्य/जिला एवं देश स्तर पर मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज पारा मेडिकल, एलायड मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्वयं करना और स्थापना में संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर आर्थिक एवं तकनीकि सहायता उपलब्ध करना एवं विकास हेतु अन्वेषण एवं शोध कार्य करना।

18. ग्रामवासियों को रोग मुक्त जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य जागरूता शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं स्वस्थ समाज की स्थापना करना।

19. आयुर्वेद, होमियोपैथी, एलोपैथ, योग, ध्यान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं विद्यालयों/महाविद्यालयों/ ट्रस्ट/समिति आदि से सम्बद्धता प्राप्त करना और इसके द्वारा मानव विकास हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियांवित करना तथा प्रशिक्षण कार्य कराना।

20. विश्व स्वास्थ्य संगठन, एसियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, निजी सार्वजनिक एवं अन्य संगठनों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

21. जन संख्या नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, पोलियो, एड्स, कुष्ठ एवं टी0बी0 उन्मूलन में सरकार/संस्थाओं को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

22. जड़ी बूटी वनोषधि आदि औषधि तैयार करना एवं कराना, उसके निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना, पेटेन्ट कराना, संग्रहन करना, पैकेजिंग करना एवं कराना और विपणन की व्यवस्था करना एवं देश–विदेश में निर्यात करना।

23. कुपोषण महामारी से आम जनता को राहत पहुँचाना, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

24. संपूर्ण मानवता को शिक्षित करने, निरक्षरता उन्मूलन एवं उनके नैतिक चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने/ शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन में और विद्यालय महाविद्यालय में तकनीकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना को सुनिश्चित करवाना।

25. शिक्षा विकास पर सेमिनार/कार्यशाला/सभा आयोजित करना। कार्यवाही के अनुरूप शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करवाना।

26. प्रत्येक गांव पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्र स्तर पर सनातन दर्शन एवं बौद्धिक विकास केन्द्र की स्थापना स्वयं करने की योजनाओं को निश्चित करवाना।

27. शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके नियोजन के लिए अवसर सृजन करना, नियोजन करना।

28. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को जन–जन तक पहुँचाना एवं महत्वपूर्ण योगदान देना पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र पर्यावरण विकास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु शिक्षण केन्द्र को प्रोत्साहित करना।

29. मानव संसाधन विकास एवं संबर्द्धन हेतु मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान की स्थापना स्वयं करना और इसे कार्यान्वित करना।

30. शैक्षणिक संस्थानों तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों विश्वविद्यालयों/ परिषद से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त करना और प्रशिक्षण/शिक्षण आरंभ करना एवं अन्य संस्थाओं को स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा/डिग्री प्रदान कराना।

31. शिक्षा के लिए आवश्यकता के अनुरूप अन्वेषित एवं प्रयोगात्मक पुस्तिका एवं पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन करना तथा शिक्षा प्रचार–प्रसार हेतु टेली फिल्म/वृत चित्र का निर्माण कार्य करना।

32. राष्ट्रीय महत्व के पुरातन धरोहर के संरक्षण में लोगों को शिक्षित करना एवं उनके जिर्णोद्धार का कार्य करना, संचालित करना और ऐतिहासिक महत्व के भवनों को जिर्णोद्धार करना एवं राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय पर्यटको को आकर्षित

करने हेतु, रमणीक पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु होटल रेस्टोरेन्ट रिसॉर्ट का निर्माण करना कृत्रिम जलाशय झील का निर्माण करना और नौका विहार को प्रोत्साहित करना एवं पर्यटन के क्षेत्र में और होटल प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रम संचाचित करना।

33. स्वतंत्र भारत के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में जानकारी प्रदान कराना और मानवीय मूल्यों के गरिमा की स्थापना सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।

34. मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना और मानवाधिकार/सामाजिक अधिकार हनन की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।

35. उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रो में निःशुल्क विद्यालयों/कोचिंग की स्थापना करना और आवश्यक कार्य हेतु योजनाओं को सुनिश्चित कराना।

36. कृषि के क्षेत्र में अन्वेषित/नवीन प्रोद्योगिकी/बायोटेक्नालॉजी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में कराना और किसानों को उन्नत कृषि में प्रशिक्षण प्रदान कर कृषि क्षेत्र में शिक्षित एवं समृद्ध बनाना।

37. जल छलन, अति सूक्ष्म जल छालन एवं भूमि संरक्षण, बंजर भूमि विकास कृषि और वृक्षारोपन कार्यक्रम के क्रियान्वयन करना।

38. प्राकृतिक श्रोत जैसे झील, नदी, बांध तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य करना और जल संकट से बचने हेतु जल स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अन्वेषण, शोध एवं प्रयोगात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित करना।

39. बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वयन करना और कृषि के क्षेत्र में होने वाले क्षति को आकलन कर उसकी पूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार करना एवं करवाना।

40. किसानो को उन्नत कोटि का बीज एवं खाद उपलब्ध कराने की परियोजना सुनिश्चित करना, नवीन विकसित यंत्र उपलब्ध कराना औषधी पौध की खेती हेतु प्रशिक्षित करना, उत्पादित वस्तुओं के विपणन भंडारण और सुरक्षा हेतु बिक्री केन्द्र, शीतगृह और भंडार गृह की व्यवस्था एवं निर्माण कार्य करना एवं किसानों के फसल के लिए बीमा योजना आरंम्भ करवाना, संग्रह गृह का निर्माण करवाना।

41. किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों के लिए बैंक में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों और किसानों के विकास के कार्य

करना और उनके हितों के लिए कल्याण कार्यक्रम संचालित करना व वृद्ध किसानों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण एवं संचालन करना और कृषकों के स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु आकस्मिक चलंत चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना।

42. कृषि एवं बागवानी विकास पर सेमिनार/कार्यशाला गोष्ठी/बैठक का आयोजन करना और अनुभव का आदान–प्रदान, पंचायत स्तर/प्रखंड स्तर/ जिला स्तर/ राज्य स्तर पर कृषि विकास केन्द्र की स्थापना करना, शोध एवं अनुसंधान कार्य कराना।

43. कृषकों के विकास हेतु देश के सभी क्षेत्रों में कृषक पंचायत के माध्यम से सरकारी सुविधा उपलब्ध करने हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षित करना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रहण करना, विपणन करना एवं कृषकों का स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था करना।

44. सौर उर्जा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सौर उर्जा ग्राम के रूप में विकसित करना, सोलर पार्क विकसित करना।

45. पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाचन जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना निर्माण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करना।

46. देश में विशेषकर उ0प्र0, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों की सामाजिक समस्या का अध्ययन एवं निराकरण का उपाय ढूंढना तथा राज्यों में दलितों एवं कमजोर वर्गो पर हो रहे अत्याचार को रोकने के उपाय करना।

47. लिंग, जाति या धर्म के मामले में भेद–भाव को दूर करने का प्रयास करना। लोगों में मानवीय गुणों को विकसित करने की स्वतंत्रता का बढावा देना। अन्याय से छुटकारा और कानूनी सुविधा प्रदान कराना एवं इस दिशा पर कार्य करना।

48. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार की प्राप्ति हेतु कारगर प्रयास करना। भूमि सुधार की समस्या और निदान के उपाय को सुनिश्चित एवं क्रियांवित करना। स्वरोजगार के नये क्षेत्रों का सृजन करते हुए गरीबी को खत्म करने की दिशा में कार्य करना।

49. सम्पूर्ण देश और उ0प्र0, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों में कानून एवं न्याय, व्यवस्थाा के उपाय ढूँढना एवं इसे क्रियांवित करने का प्रयास करना।

50. बेरोजगारी और गरीबी के कारण बढ़ती जा रही निराशा, अपराध एवं स्वार्थपरता मिटाने के उपाय करना तथा गरीबी और अमीरो तथा किसानों और गैर-किसानों के बीच जीवन दशा में अंतर की खाई को दूर करने के उपाय करना एवं निराकरण करना।

51. शिक्षा-प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थिति एवं उसके कठिनाईयों के लिए संभावित कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाए जाने पर बल देना।

52. अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण खोई आत्मनिर्भरता लौटाने के उपाय सोचना।

53. महिलाओं, बच्चे, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गो एवं दलित पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति का विश्लेषण कर निदान ढूँढना, स्वच्छ एवं संतुलित समाज के निर्माण में योगदान देना तथा उनके सर्वांगीण विकास, समाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना एवं मातृत्व तथा बच्चे को समाजिक सुरक्षा का अधिकार दिलाना।

54. तिलक, दहेज जैसी सामाजिक समास्याओं को समाजिक स्तर पर ही निबटाने का वातावरण तैयार करना महिला और कमजोर महिला को जुल्म से छुटकारा दिलाना। स्वयंसेवी जत्था सृजित करना, दहेज प्रथा के विरूद्ध प्रचार अभियान चलाना एव दहेज विरोधी कानून के कार्यान्वयन के लिए प्रभावकारी जन-सहयोग एवं प्रशासनतंत्र के गठन के लिए अभियान चलाना।

55. निम्न मध्यवर्गीय लोगों की समस्या का विशेष रूप से संकलन एवं निराकरण के उपाय का विश्लेषण करना एवं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और स्वरूप का अध्ययन एवं निदान का उपाय निकालना।

56. कृषि मजूदर, औद्योगिक मजदूर, ईट भट्टा काटनेवाला, पत्थर तोड़ने वाला, बीड़ी, दर्जी दुकानदार, मछुआरा एवं अन्य असंगठित मजदूरो की समस्याओं का अध्ययन एवं इन सभी वर्गो के मजदूर को न्याय एवं उत्थान के लिए प्रयास करना।

57. युवकों एवं छात्रों की समस्या, छात्रों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रयत्न के अतिरिक्त समाज के पिछड़े वर्गों आर्थिक रूप से कमजोर

वर्ग दलित वर्ग, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की उच्च शिक्षा में व्यापक प्रवेश के लिए प्रयास करना।

58. अन्य पिछड़े वर्गों में मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग के बीच वर्गीकरण सुनिश्चित कराना और उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार केन्द्रीय सेवा में आरक्षण सुनिश्चित कराके अत्यन्त पिछड़े वर्गों के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करना।

59. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों के शोध, शिक्षण एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना कराना।

60. कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं समाज की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित तथ्यों और आकड़ों का संकलन करना और सामाजिक घटना के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण जानकारी से सदस्यों एवं समाज को अवगत कराना।

61. न्यास द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा करवा कर उन पर विशेषज्ञों की टिप्पणी आमंत्रित करना और उन विषयों पर प्रखण्ड जिला एवं राज्य स्तर पर गोष्ठियाँ अयोजित करना।

62. देश और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल बिहार, झारखण्ड एवं अन्य राज्यो के जेलो मे बंद पड़े विचाराधीन कैदियों को जेल मैनुअल के अन्तर्गत उचित न्याय दिलाने का प्रयास करना तथा ऐसे बंदी को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें कानूनी सहायता पहुँचाना।

63. महिला कैदियों की दयनीय हालत में सुधार लाना और उनको उचित न्याय दिलाने के संबन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता पर बल देना तथा विभिन्न जेलों मे बंद महिलाओ को चिन्ताजनक स्थिति से मुक्ति दिलाना, शिवरों की तरह ही नारी बंदीगृह अदालत बनाए जाने पर बल देना हिरासत में रहने वाली महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए चलंत न्यायिक हिरासत में रहने वाली महिलाओं को विशष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय दंड सहिता, कारावास अधिनियम और पुलिस अधिनियम में संशोधन की आवाज उठाना।

64. न्यायहीन कैदियों व व्यक्तियों असुविधाहीन कैदियों व उसके परिवार को विशेष अधिकार दिलाने का कार्य करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं न्यायालय से न्याय कराने हेतु अपील करना।

देवेन्द्र कुमार

65. बधिरों एवं विकलांगों को संगठित कर उन पर हो रहे अनदेखी को ध्यान में रखकर उनके उत्थान के लिए कारगर कदम उठाना।

66. बच्चों को अच्छे शिक्षण प्रणाली एवं उस पर आये दिन हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाना एवं उनके लिए कारगर कदम उठाना। बाल मजदूरी को खत्म करने का प्रयास करना।

67. ट्रस्ट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के पक्ष में अथवा ट्रस्ट द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण संस्थापक/अध्यक्ष द्वारा करना।

68. शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने हेतु स्कूल, कालेज महाविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, मस्जिद, मदरसा, मकतब, हास्पिटल, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, दारूलयतामा का कयाम और यतीम और गरीब बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना व रोजगार परक योजनाएं चलाना देना व उनकी शादी में मदद करना व देश के कमजोर व बेगुनाह कैदियों की आजादी हेतु अदालती पैरवी करना व उनके लिए योग्य अधिवक्ताओं का पैरवी के लिए चयन करना व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीनी व सामाजिक जलसा का आयोजन को आयोजित करना तथा इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा इन उद्देशायों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।

69. छात्रों को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति मानदेय पुरूस्कार आदि का प्रबन्ध करना व स्कूल कालेज व संस्थान में प्रशिक्षण, शोध व सेमीनार आदि आयोजित करना व विदेश में शिक्षा प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान करना तथा इन उद्देशयों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।

70. शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिए राज्य व केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करना तथा दानशील व्यक्तियों की संस्थाओं व संस्थानों से वित्तीय सहायता लेना।

71. भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना। पर्यावरण सम्बन्धी समस्त प्रकार के कार्य करना व सरकारी योजनाओं के क्रियाकलापों में सहयोग करना।

72. गरीबों को जाड़े के दिनों में वस्त्र आदि वितरण करना।

73. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जनमानस को पारम्परिक कला से परिचय कराना।

74. गरीबों को भोजन कराना, भण्डारा करना तथा गर्मियों मे पौशला आदि की व्यवस्था करना।

75. यह कि उपरोक्त प्रकार के कार्यों को सम्पादन करने वाली संस्थाओं से सहयोग लेना।

76. अन्य कोई कार्य जो समाज व राष्ट्रहित में हों।

77. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा दीनी व सामाजिक अखबार, मैग्जीन, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक का प्रकाशन कराना व वितरण करना। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक्स के प्रचार प्रसार एवं मीडिया के शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना कार्य भी करेगा।

78. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा लावारिस लाशों के कफन व दफन का इन्तेजाम करना।

79. यह कि पशुपालन जैसे बकरी, भैंस, गाय तथा पक्षियों को पालना तथा विकास सम्बन्धित कार्य करना तथा पशु–पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना।

80. यह कि ट्रस्ट भवन निर्माण, बिल्डर्स, टाउन प्लानर, रियल स्टेट डेवलपर्स आदि का कार्य एवं सरकारी एवं प्राइवेट सिविल कान्ट्रेक्टर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई आदि संचालित कर धर्नाजन करते हुये चेरटी योग्य निःस्वार्थ भाग से ग्रामीण विकास, बेरोजगारी उन्मूलन एंव स्वच्छता आदि का कार्य करेगा साथ–साथ इन्टीरियर डेकोरेटर एवं फैशन डिजाइन के क्षेत्र में भी अपना योगदान सुनिश्चित करेगी।

81. यह कि उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य सभी भाषाओं के विकास के लिये कार्य करना।

82. यह कि जल संचय एवं पर्यावरण से सम्बन्धित सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्राईवेट कार्यों का समस्त प्रकार से विधि अनुसार संचालन करना। पेजल जागरण शिविर स्वजल धारा, जलनिधि के कार्यक्रमों का आयोजन, रेन वाटर हारवेस्टिंग, वाटर शेड डेवलमेन्ट, हैण्ड पम्पों की अवस्थापना तथा प्राकृतिक जल का संचय करना।

83. अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत के विभिन्न मंत्रालयों से संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके।

84. असहाय वृद्धों के कल्याणार्थ डे–केयर सेन्टर, ओलड ऐज होम, विकलांगो के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुर्नवास कार्यक्रम, स्वाधारा योजना के अन्तर्गत परित्यक्त महिलाओं को पुनर्वासित कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासियों के लिए तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों लिए शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र एवं बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, परामर्श केन्द्र, गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन करना।

८५. इसके (संस्था) के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षणों का संचालन करना। कपार्ट, नाबार्ड, सूडा, डूडा, सिडबी, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, डी०आर०डी०ए० तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर अनुदान/ऋण प्राप्त कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

८६. राष्ट्रीय हित एवं विकास हेतु जन सामान्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि विकास, सूचना अधिनियम, खाद्य सुरक्षा, आदि के समुचित क्रियान्वयन, संचालन एवं हितग्राही लोगों तक उक्त कार्यक्रमों का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के फोरम, संगठन एवं समितियों का गठन कर आयोजित कार्यक्रमों को संचालित किया जायेगा।

८७. यह कि गुरुकुल केन्द्र एवं अनाथआलय आदि बनाना तथा उसका संचालन करना।

८८. यह कि पुस्तकालय व वाचनालय, व्यायामशाला व क्लब आदि का संचालन करना।

८९. यह कि विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों के सामाजिक विकास के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

९०. यह कि नशा उन्मूलन सम्बन्धित योजनाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करना तथा नशे में उत्पन्न बुराईयों के बारे में समाज में समस्त प्रकार के कार्यक्रम करवाना।

९१. यह कि भारत सरकार की किसी भी प्रकार की योजनाओं से अनुदान प्राप्त करना तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट तथा अन्य योजनाओं का विधिनुसार संचालन करना।

(देवेन्द्र कुमार)
संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक
मुख्य कार्यकारी

श्रीकृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
(Shri Krishna Janmabhoomi Teerth Kshetra)
नियमावली

1. **परिभाषाएँ** :

(क) न्यास का नाम : *श्रीकृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र* *(Shri Krishna Janmabhoomi Teerth Kshetra)*

(ख) न्यास का प्रधान ट्रस्टी : संस्थापक अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगा।

(ग) पदाधिकारी/न्यासट्रस्टी : उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष एवं दो न्यास के ट्रस्टी न्यास के पदाधिकारी होगें।

(घ) प्रबंध समिति : प्रबन्ध समिति में कुल चार सदस्य होगे जिनमें जिनमें संस्थापक/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होगें इनकी अध्यक्षता संस्थापक/अध्यक्ष न्यास करेगें एवं संस्थापक/ अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष न्यास करेगें।

(च) वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।

(छ) एक्ट : ट्रस्ट एक्ट 1882 संशोधित एक्ट के अन्तर्गत।

2. **सदस्यता** : ट्रस्ट की संस्थागत/साधारण सदस्यता के लिए विहित आवेदन प्रपत्र में संगठन के नाम से आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/ अध्यक्ष की अनुमति/ स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर, किया जा सकेगा। सदस्य निम्नलिखित होगें।

   1. **संस्थागत सदस्य**– कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
   2. सदस्य– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर वे न्यास के सदस्य हो सकते है।

3. **सदस्यता की समाप्ति/ विमुक्ति** :
   1. स्वयं त्यागपत्र देने पर
   2. सदस्य के पागल होने पर
   3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर
   4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लघंन करने पर एवं

विपरीत आचरण पर

5. प्रधान ट्रस्टी/प्रबन्ध समिति द्वारा निष्काषित करने पर

4. **संस्थापक/ अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य** :

1. न्यास के उद्देश्य और नियमावली एवं स्मृति पत्र में आवश्यकतानुसार संसोधन समय– समय पर करना।
2. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन और प्रबंध समिति गठित करना।
3. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को अतिरिक्त सदस्यों को प्रबंध समिति में मनोनित करने का अधिकार होगा एवं उनका कार्यकाल संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
4. संस्थापक/अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी न्यास के सर्वोच्च पदाधिकारी होगें।
5. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने तथा उपाध्यक्ष/ न्यासी को न्यास से निष्कासित करने का अधिकार होगा और उनकी निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। इस पर कोई चुनौती मान्य नहीं किया जा सकेगा।
6. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह अधिकार हासिल है कि प्रबंध समिति द्वारा पारित किसी भी निर्णय को रद्द बिना कारण बताये कर सकता है।
7. न्यास का विघटन इस परिस्थिति में नहीं होगा जब संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के स्वास्थय की वजह से स्वंय त्यागपत्र देने पर संस्थापक/अध्यक्ष के पागल होने पर, लम्बी बीमारी से ग्रसित रहने पर भारत की नागरिकता छोड़ने पर एवं अन्य बात होने पर जो भारत सरकार के नियम के अनुसार मान्य हो, लागू होगा ऐसा होने पर इनके जगह पर इनके परिवार की सहमति से परिवार का कोई बालिग पुरूष या महिला संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पर मनोनित होगें वही इस पद पर बने रहेगें और यह क्रिया हमेशा चलता रहेगा।
8. न्यास का विघटन न्याय ट्रस्टी/प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर नहीं हो सकेगा।
9. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं

योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष स्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश में प्रतिनिधित्व करना एवं आवश्यक निर्देश देकर न्यास के पदाधिकारी से करवाना।

10. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति के संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को बिना प्रबंध समिति को पूर्व सूचना के पांच लाख रूपया तक का खर्च करने का अधिकार प्राप्त है।

11. न्यास के सभी चल–अचल संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

12. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कवह जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।

5. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य** : उपाध्यक्ष न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आमसभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, की बैठक की अध्यक्षता संस्थापक/ अध्यक्ष न्यासी की अनुपस्थिति या अन्य आकस्मिक कारणों से करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी होगें। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को संपन्न करना। न्यास के नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना।

6. **कोषाध्यक्ष/ महासचिव के कर्तव्य** : उन समस्त कार्यों को करना जिससे ट्रस्ट की आय में वृद्धि हो सके। ट्रस्ट (न्यास) के समस्त लेखा जोखा एवं कोष से सम्बन्धित सारे दस्तावेजों को अपने पास अध्यक्ष की सहमति से सुरक्षित रखना। कोषाध्यक्ष संस्थापक ट्रस्टी के पास कम से कम बैंक के अलावा रू0 10,000/– रखने का अधिकार रहेगा। ट्रस्ट द्वारा किये गये संव्यवहार अध्यक्ष एवं महासचिव में से कोई भी एक के हस्ताक्षर द्वारा ही सम्पादित होगें।

7. **प्रबंध समिति का निर्वाचन** : प्रबंध समिति का कार्यकाल प्रत्येक पाँच वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन संस्थापक न्यासी के निर्देशानुसार होगा। तीन सदस्य संस्थापक सदस्य से जो न्यास–पत्र में उल्लेखित है एवं शेष चार निर्वाचित सदस्यों में से होगे।

8. **न्यास का** : न्यास का प्रबंधन संस्थापक/अध्यक्ष सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित

प्रबंधन

प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें न्यास के पदाधिकारी सहित एवं दो अन्य निर्वाचित सदस्य होगें प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति भंग कर नयी प्रबंध समिति गठित कर लें।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति से किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक/अध्यक्ष को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेगें

9. **न्यास की आय के स्रोत एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासी के अधिकार** : दान, चंदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, संपत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से चल/अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और जनहित में कार्यहित कार्यक्रम संचालित करना।

10. **प्रबंध समिति के अधिकार न्यास के संबंध में** :

1. समय-समय पर न्यास की कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
2. न्यास के संपत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि की वृद्धि के हेतु न्यास की निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर, एच0डी0एफ0सी0/ यू0टी0आई0, ए0बी0एन0 एमरो, आई0सी0 आई0सी0आई0/इंग वैश्य मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
3. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीकृत बैंक, नाबार्ड, विश्व बैंक या एसियन डेवलपमेंट बैंक, अर्न्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्कों या अन्य प्राईवेट एवं पब्लिक संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
4. न्यास के कोष/निधि का उपयोग अस्पताल, मेडिकल कालेज, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी, प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं कालेज की स्थापना में करना।
5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लीज/पट्टे पर देना।

6. न्यास के नाम से बचत/चालू/अवार्ती जमा/ अनवर्ती जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचलान संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या उनके द्वारा अधीकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से करना और समय–समय पर संसोधन कर बैंक/ डाकघर को सूचित करना।
7. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/ परामर्शदाता नियमित करना/अधिकृत करना।
8. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/ अंशकालीन वैतानिक/ अवैतनिक व्यक्तियों अधिकारियों की नियुक्ति/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
9. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट /संगठन/संस्थान से संबद्ध होना, सबद्ध करना और उद्देश्य की पूति करना।
10. न्यास के संपत्ति, कोष/निधि सामान्य उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक, संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।
11. न्यास के उदेदश्य की पूति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य/ जिला/ प्रखंड/ पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्राप्त करना।
12. प्रबंध समिति न्यास के कार्यो को संपादित एवं सूचारू रूप से चलाने में समय–समय पर अलग–अलग समितियों या एक समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
13. न्यास के आंय–व्यय का लेखा–जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय लेख का अंकेक्षण।
14. अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
15. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
16. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
17. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
18. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
19. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विपदाग्रस्त परिस्थिति में संस्थापक/ अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उनके

निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जाएगी।

20. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत हीं किया जायेगा।

21. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से संस्था के दैनिक प्रशासन से सबधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रहकर संस्था का प्रतिनिधत्व करेगें।

22. न्यास के सभी अभिलेख को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

23. न्याय की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा उपाघ्यक्ष के परामर्श से बैठकों क लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

24. न्यास के समस्त आय–व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

25. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।

26. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।

27. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राज्य/जिला शाखा के कार्यो का पयवेक्षण करना।

28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आप सभी की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

29. समान उद्देशयों की ट्रस्ट, स्वैछिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, संबद्वता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

30. राष्ट्रीय शाखा/राज्य शाखा/ जिला/प्रखण्ड/ पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का ब्यौरा तैयार करना।

31. प्रबध समिति के प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगीं।

32. किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठारघात पहुँचाता हों उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

33. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करगीं।

11. **प्रबन्ध समिति की बैठक**

1. साधारण बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपतकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक एक महीने में एक बार होगी तथा आवश्यकतानुसार भी बैठक बुलाई जाएगी।
3. प्रबंध समिति में कुल सात पदाधिकारियों में से पांच पदाधिकारियों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।
4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगां

12. **आम सभा**

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम

सभा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी आम सभा के निम्नलिखित कार्य होगे:–

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृत प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय–व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षित की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय–व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चम/ निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अनुमति से विचार करना।

13. **असाधारण**

संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के द्वारा

बैठक तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नाकिंत अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम, संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दिया जायेगा।
4. बैठक की सूचना निबधित डाक कोरियर या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।

14. **मतदान** साधारणतया मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

15. **रिक्त पदों की पूर्ति** प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद शेष कार्यकाल के लिए संस्थापक /अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते है।

16. **आय का स्रोत** न्यास के आय के निम्नलिखत श्रोत होंगे।

(क) प्रवेश शुल्क
(ख) सदस्यता शुल्क
(ग) आजीवन सदस्यता शुल्क
(घ) दान एवं चंदा
(ड़) अनुदान
(च) ऋण
(छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से/चैरिटी शो के आयोजन से/प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।
(ज) संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क
(झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से तथा जमा कोष से।

आवेदन सं०: 202200821068903

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 688 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 220

श्री देवेन्द्र कुमार ,
पुत्र श्री स्व0 राधेश्याम दीक्षित
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 9ए, बालाजी पुरम, आनन्द लोक कालोनी, मटियारी, चिनहट, लखनऊ-226028

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/09/2022 एवं 04:04:56 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिवेन्द्र कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
लखनऊ
16/09/2022

अमर्त्य . श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक
16/09/2022

प्रिंट करें

17\. ट्रस्ट के अभिलेख : ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक आदि संस्थापक ट्रस्टी के पास रहेंगे तथा ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जैसे कुर्सी मेज अलमारी कार्यालय आदि संस्थापक के पास रहेंगे।

18\. **संस्था के कोष** : न्यास के कोष/रोकड़ का लेखा–जोखा और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तर दायित्व संस्थापक/अध्यक्ष न्यास का होगा। अधिक से अधिक 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) तक नगद न्यास के कार्यो के लिए संस्थापक/ अध्यक्ष न्यास अपने पास रखेगें। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाक घर या अन्य बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से जमा करना संस्थापक/ अध्यक्ष न्यास का दायित्व होगा। जमा कोष से रूपये की निकासी संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी के एकल हस्ताक्षर से होगा। इसके साथ साथ संस्थापक/ अध्यक्ष न्यासी के अनुपस्थिति के समय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट के बैंक में जमा धन की निकासी का अधिकार प्राप्त होगा।

19\. **अंकेक्षण** : अंकेक्षण न्यास के आय, व्यय का अंकेक्षण करेंगी तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करेंगे उसकी स्वीकृति प्रबंध समिति की बैठक से प्राप्त कर ली जायेगी एवं जिसे आम सभा में पारित होना अनिवार्य होगा। प्रबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण करा सकते है। जिसका खर्चा न्यास वहन करेंगी।

20\. **ट्रस्ट के विलय सम्बन्धी** : यह ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के सहयोग करने व समान उद्देश्य वाले अन्य किसी ट्रस्ट का विलय इस ट्रस्ट में कानूनी औपचारिकतायें पूर्ण करके कर सकेगा। इसी प्रकार इस ट्रस्ट का विलय उपरोक्त दशा में किसी अन्य ट्रस्ट में कानूनी औपचारिकता पूर्ण करके किया जा सकेगा। विलय की स्थिति में विलीन होने वाले ट्रस्ट की सारी चल एचं अचल सम्पत्ति विलये ट्रस्ट की हो जायेगी एवं दस्तावेजों, अभिलेखों में अनावश्यक परिवर्तन विलेय ट्रस्ट के पक्ष में करा लिये जायेगें। वे अपनी आचार संहिताओं के अनुरूप उनका अपनी कार्ययोजनाओं में उपयोग करेगें।

यह कि उपरोक्त पता अस्थायी है जो भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है।

यह कि उपरोक्त पता अस्थायी है जो भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ट्रस्ट में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति सम्मिलित नही है। ट्रस्ट का पता ट्रस्ट की सम्पत्ति नही है।

आवेदन सं०: 202200821068903

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 688 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री स्व0 राधेश्याम दीक्षित

निवासी: 9ए, बालाजी पुरम, आनन्द लोक कालोनी, मटियारी, चिनहट, लखनऊ-226028

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सागर पाठक , पुत्र श्री विजय पाठक

निवासी: 283/701/605, आरती नगर, गढ़ी कनौरा, मानक नगर, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अभिषेक कुमार , पुत्र श्री सुशी लाल

निवासी: 24, अम्बेडकर नगर, भरतपुरी बी, तालकटोरा रोड, राजेन्द्र नगर, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिवेन्द्र कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
लखनऊ
16/09/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

अमर्त्य . श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक लखनऊ
16/09/2022

प्रिंट करें

उपरोक्त न्यास की घोषणा में न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष/ प्रबन्धक निदेशक ने आज दिनांक 16.09.2022 को स्वेच्छापूर्वक, बिना दवाब नाजायज के, पूरे होश-हवास मे और स्थिर-चित्त अवस्था में निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष करते है। तथा इस न्यास विलेख को हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करते है। जो सही है, और सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आए।

गवाहान:-

1.

(देवेन्द्र कुमार)
मो0-9450175006
सस्थापक/अध्यक्षा/प्रबन्धक निदेशक
मुख्य कार्यकारी

(सागर पाठक)
पुत्र विजय पाठक
नि0-283/701/605, आरती नगर,
गढ़ी कनौरा, मानक नगर, लखनऊ
मो0-7985673842

2.

(अभिषेक कुमार)
पुत्र सुशी लाल
नि0-24, अम्बेडकर नगर, भरतपुरी बी,
तालकटोरा रोड, राजेन्द्र नगर, लखनऊ
मो0-9889607752

टाईपकर्ता :

(पंकज जायसवाल)
R.Sanehi Print Point
Abbasi Unversal Complex
near Registrar office, Kaiserbagh,
Lucknow

मसविदाकर्ता :

(संदीप मिश्रा)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ।
मो0 7003111172

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड

Permanent Account Number Card

ABETS9089E

नाम / Name

SHRI KRISHNA JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA

निगमन/गठन की तारीख

Date of Incorporation/Formation

16/09/2022

Fold

आयकर विभाग

भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT

GOVT. OF INDIA

AAKASH SINGH

DHARMENDRA PRATAP SINGH

15/07/1998

Permanent Account Number

GXWPS9358Q

A. Singh

Signature

27072016

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

आधार

Issue Date: 09/10/2014

आकाश सिंह

Aakash Singh

जन्म तिथि / DOB : 15/07/1998

पुरुष / Male

8786 9788 7350

8786 9788 7350

मेरा आधार, मेरी पहचान

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

AADHAAR

Print Date: 01/04/2022

पता: संबोधित: धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, 551चा/202, नई सरदारीखेडा, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226005

Address: S/O: Dharmendra Pratap Singh, 551cha/202, NEW SARDARI KHEDA, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh, 226005

8786 9788 7350

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

CKKPK3469D

नाम/ Name
DEVENDRA KUMAR

पिता का नाम/ Father's Name
RADHEY SHYAM

जन्म की तारीख / Date of Birth
15/01/1988

हस्ताक्षर/ Signature

13062018

भारत सरकार

Government of India

आधार

Issue Date: 05/02/2015

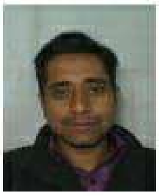

देवेन्द्र कुमार

Devendra Kumar

जन्म तिथि/DOB: 15/01/1988

पुरुष/ MALE

7723 4644 9916

VID : 9141 9219 3114 2804

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

AADHAAR

Download Date: 12/01/2022

पता:
आत्मज: राधे श्याम, 9ए, बालाजी पुरम, आनंद लोक बस्ती,
शाहपुर सिमरा, लखनऊ, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 227105

Address:
S/O: Radhey Shyam, 9A, balaji puram, Anand
Lok Colony, shahpur Semra, Lucknow,
Lucknow,
Uttar Pradesh - 227105

7723 4644 9916

VID : 9141 9219 3114 2804

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in